न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प कोर्ट भोपाल

अपील-0441/2019/होशंगाबाद/भू.रा.सं.

रामदास आत्मज जगन्नाथ पटेल
निवासी रसूलिया, होशंगाबाद
तहसील व जिला होशंगाबाद म.प्र...................... अपीलार्थी

विरुद्ध

1. म.प्र.शासन
2. श्रीमती शमशाद पति अख्तर खान
निवासी गौर गालोनी, मालाखेड़ी
होशंगाबाद तहसील व जिला होशंगाबाद .... उत्तरवादीगण

अपील अंतर्गत धारा 44 (II) म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

अपीलार्थी की ओर से निम्न निवेदन है :-

अपील का संक्षिप्त विवरण

1. यह कि श्रीमती शमशाद पत्नि अख्तर खान के द्वारा सीमांकन नहीं करने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत है । आयुक्त महोदय द्वारा अवैध कालोनी के प्रकरण में जानकारी चाही गई है । राजस्व निरीक्षक डायवर्सन होशंगाबाद में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया कि रसूलिया स्थित भूमि खसरा नंबर 52/1, 52/2, 38/1, 38 एवं 38/1, 39/2, वितरित किये गये प्लाट 179 रकबा 302298.5 वर्गमीटर भूमि स्वामी द्वारा बिना नक्शा अनुमोदन बिना कालोनाइजर लाइसेंस से छोटे छोटे भूखण्ड काटकर विक्रय कर कालोनी का विकास किया है । जिससे नेताओं को सीमांकन आदि मूलभूत सुविधा पाने से कठिनाई हो रही है इसलिए नगर पालिका अधिनियम 1998 नियम 15 का के प्रावधान अंतर्गत कार्यवाही की जाना प्रतिवेदित किया है ।

प्रकरण में सुनवाई हेतु आहूत किया गया कि कालोनाइजर द्वारा पूर्ण राशि भी ले ली गई उक्त प्लाट का कालोनाइजर द्वारा कब्जा भी सौंपा नहीं जा रहा है । तथा अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद के द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध म.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1998 नियम

रामदास पटेल

15 ग के प्रावधान अंतर्गत कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए तहसीलदार होशंगाबाद प्रतिवेदन दिनांक 15.11.17 से सहमत हुए आदेशिका दिनांक 15.1.18 एवं दिनांक 23.1.18 के माध्यम से प्रकरण अपर कलेक्टर जिला होशंगाबाद को प्रस्तुत किया था ।

यह कि अपर कलेक्टर होशंगाबाद द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 0083 बी/121 वर्ष 17-18 में आदेश दिनांक 13.6.18 को विधि विरूद्ध पारित किया गया है । जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील न्यायालय श्रीमान आयुक्त महोदय होशंगाबाद के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो अपील प्रकरण कमांक 462/अपील/वर्ष 17-18 में पारित आदेश दिनांक 13.2.19 विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध पारित किये जाने से व्यथित होकर श्रीमान जी के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील के आधार एवं तथ्य

1. यह कि अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर होशंगाबाद के द्वारा राजस्व प्रकरण कमांक 0083/बी/121 वर्ष 17-18 में पारित आदेश दिनांक 13.6.18 विधि एवं तथ्यों के विपरीत पारित किया गया है जो **प्रथम दृष्टया** ही निरस्त किये जाने योग्य है ।

2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर होशंगाबाद के पारित आदेश दिनांक 13.6.18 आदेश की सारणी खसरा नंबर का उल्लेख किया गया है कि अपीलार्थी खसरा नंबर 38/1, 38, 39/1, 38/1, 39/2, का भूमि स्वामी रामदास वल्द जगन्नाथ पटेल है ।

यहां स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि उपरोक्त खसरा नंबर खसरा नंबर 38/1, 38, 39/1, 38/1, 39/2, अपीलाथी जगन्नाथ पटेल के नाम से 1947 के पूर्व से लेकर 1917 तक कभी भी उसके नाम दर्ज नहीं रहे है और वह उक्त खसरा नंबरों का मालिक स्वामी कभी नहीं रहा है ।

2. यह कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व निरीक्षक अमन चौहान के द्वारा शासकीय दस्तावेज वी-1 में कूट रचना कर वर्ष 1918 में [illegible] का नाम अंकित किया है । जो [illegible] होने से

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक A0441/19/होशंगाबाद/मू.रा.

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-03-19	आवेदक अधिवक्ता श्री एन0के0तिवारी उपस्थित । प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह अपील नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत अपील को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । अध्यक्ष	